विषयः—वर्ष 2011—12 में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

राज्य सरकार ने अपने पत्रांक एफ 12(6)ऊर्जा/04 दिनांक 09.03.201 के द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के बजट भाषण 2011—12 में 65 हजार कृषि कनेक्शन जारी करने व 1 जनवरी 2008 से 31 दिसम्बर 2008 तक कृषि हेतु प्राप्त लम्बित प्रार्थना पत्रों के मांग पत्र वर्ष 2011—12 में दो चरणों में (50 प्रतिशत हर चरण में) जारी करने हेतु निर्देश दिये है।

उक्त संदर्भ में डिस्कॉम कोरर्डिनेशन फोरम की बैठक दिनांक 17 व 22 मार्च को चर्चा हुई। वितरण निगमों में उपलब्ध सीमित मानव शक्ति, संसाधनों और सामान की उपलब्धता देखते हुये वर्ष 2011—12 में कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के मांग पत्र निम्नानुसार दो चरणों में जारी करने हेतु निर्णय लिया गया।

1. प्रथम चरण में दिनांक 01.01.2008 से 30.09.2008 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के मांग पत्र 15 अप्रेल 2011 से 15 अगस्त 2011 के बीच निम्न प्रकरण से जारी किये जायेगे :—

   (1) 25 प्रतिशत — 15 अप्रेल 2011 से 15 मई 2011 तक

   (2) 25 प्रतिशत — 15 मई 2011 से 15 जून 2011 तक

   (3) 25 प्रतिशत — 15 जून 2011 से 15 जूलाई 2011 तक

   (4) 25 प्रतिशत — 15 जुलाई 2011 से 15 अगस्त 2011 तक

2. द्वितीय चरण में 01.10.2008 से 31.12.2008 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के मांग पत्र 15 सितम्बर 2011 से 15 जनवरी 2012 के बीच निम्न प्रकार जारी किये जायेंगे।

   (1) 25 प्रतिशत — 15 सितम्बर 2011 से 15 अक्टूबर 2011 तक

   (2) 25 प्रतिशत — 15 अक्टूबर 2011 से 15 नवम्बर 2011 तक

   (3) 25 प्रतिशत — 15 नवम्बर 2011 से 15 दिसम्बर 2011 तक

   (4) 25 प्रतिशत — 15 दिसम्बर 2011 से 15 जनवरी 2012 तक

3. समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरंत प्राथमिकता के आधार कृषि कनेक्शन देय है, के मांग पत्र निम्नानुसार जारी किये जायेंगें :—

   (1) 31.03.11 तक प्राप्त सभी आवेदनों के — 15 अप्रेल से 15 मई 2011 के मध्य।
   (2) 01.04.11 से 31.08.11 तक प्राप्त आवेदन के — 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर 11के मध्य।

अन्य शर्ते व नियम निगम से पूर्व में जारी आदेश क्रंमाक आर.ई.अज.—181 दिनांक 25.03.09 के अनुरूप ही रहेंगें।

कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 31.03.07) में मुख्य संशोधन

बिन्दु संख्या	कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 31.03.07) में विद्यमान प्रावधान जिसमें संशोधन प्रस्तावित है :–	संशोधित प्रावधान
6	वरीयता–सामान्य श्रेणी • कार्य आदेश एवं कनेक्शन की वरीयता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से उपखण्डवार रहेगी। यदि एल फार्म देने में देरी होती है तो वरीयता का निर्धारण एल फार्म की तिथि से होगा।	वरीयता–सामान्य श्रेणी कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।
8	**वरीयता–स्पेशल श्रेणी मांग पत्र के लिए** प्रार्थना पत्र शुल्क तथा अग्रिम राशि जमा कराने की तिथि के अनुसार उपखण्डवार वरीयता होगी। वरीयता मांग पत्र जमा तिथि के अनुसार। यदि एल. फार्म देने में देरी होती है तो वरीयता का निर्धारण एल. फार्म की तिथि से होगा।	**वरीयता–स्पेशल श्रेणी मांग पत्र के लिए** कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।
11	**मांग पत्र की अवधि** सभी श्रेणियों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 60 दिन में राशि जमा कराने हेतु भेजा जावेगा। यदि आवेदक के द्वारा 60 दिन तक राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो पुनः रजिस्टर्ड एडी द्वारा 30 दिन का मांग पत्र जारी किया जावे। समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं होने पर आवेदन पत्र रदद् कर दिया जावेगा। इस प्रकार की सूचना द्वितीय मांग पत्र पर अंकित कर दी जावे तथा उक्त अवधि में मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराने पर आवेदन शुल्क वापिस नहीं लौटाया दी जावेगी।	**मांग पत्र की अवधि** सभी श्रेणीयों के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रदद् कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीया अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिक एवं चौपालो में विस्तुत जानकारी दे दी जावे।
16	कृषि कनेक्शन के कार्य आर्देश जारी करना (1) सहायक अभियन्ता मुख्यालय से अपने कुए तक एच.टी./एल.टी. लाइन के विस्तार वह सबस्टेशन डी.पी. बनाने के लिए पाल एव अन्य सामान की ढूलाई का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा।	कृषि कनेक्शन कार्य आदेश जारी करना कृषि कनेक्शन के लिए जरूरी सामान की ढूलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिए मॉग पत्र में 1500 रूपये अतिरिक्त चार्ज किये जावेगे यदि आवेदक अपने खर्च पर सारे सामान की ढूलाई का कार्य स्वयं करना चाहता होतो उससे सामान की ढूलाई की राशि चार्ज नही की जावेगी।